जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 54/2014 अजयबचनसिंह पुत्र श्री रूपेन्द्रबचन सिंह ग्रेवाल निवासी 5ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर हाल 8 भूपेन्द्र नगर रोड, पटियाला मु0आम अभयबचनसिंह पुत्र रूपेन्द्रबचन सिंह जटसिख 5ए छोटी हाल 8 भूपेन्द्रनगर रोड पटियाला बनाम गुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र सतवंतसिंह जाति जटसिख निवासी हाल धर्मकोट तहसील व जिला फिरोजपुर 2–सरविन्द्रपाल सिंह 3–श्रीमति सुखवन्त कौर 4–राणा गुरविन्द्र कौर 5–जसवंत कौर 6– बलवतर कौर 7–स्टेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.05.2015

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सतीश गोसाई वद अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अभिभाषक श्री मदन बंसल उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर में लंबित रिमाण्डेड इन्तकाल प्रकरण अनवानी गुरेन्द्रपाल सिंह आदि बनाम स्टेट व मृत्तक सेवाकौर आदि में न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। चूंकि तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र को खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि उक्त आधार पर उनका मुन्तकिल प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है तो उनको कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर में लंबित रिमाण्डेड इन्तकाल प्रकरण अनवानी गुरेन्द्रपाल सिंह आदि बनाम स्टेट व मृत्तक सेवाकौर आदि में न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। चूंकि तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र को खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर